## प्रमाण पत्र नं. 🛮

शारीरिक विकलांग के अधिमान के लिए प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)  1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. (अभ्यर्थी)
2. अभ्यर्थी की उपरोक्त विकलांगता को निम्न प्रकार की विकलांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है। (कृपया का या निशान लगायें)  Type-I: Minimum 40% permanent Visual impairment Type-II: Minimum 40% permanent Locomoter disability Type-III: Minimum 40% Speech Hearing impairment 3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्थिति अभ्यर्थी के शिक्षा प्राप्त करने में बाधक नहीं होगी। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर चिकित्सकाधिकारी के हस्ताक्षर नाम नाम
Certificate No. II Proforma of Certificate of the Weightage of Physically Handicapped
(Certificate by CMO)  It is certified that Mr./Ms. (candidate)
Signature of the candidate  Name  Name  Data

1.

2.

3.